छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **पंचदश सत्र**

सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023

(पौष 12, शक सम्वत् 1944)

[अंक 03]

Web copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

सोमवार, दिनांक 02 जनवरी, 2023

(पौष 12, शक संवत् 1944)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

<u>नव वर्ष की शुभकामनाएं</u>

अध्यक्ष महोदय :- आप सबको नये वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं और जो छोटे हैं उनको आशीर्वाद।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, आपको और सभी सदस्यों को नव वर्ष की बधाई, शुभकामनाएं ।

समय :
11:00 बजे

<u>शपथ/प्रतिज्ञान</u>

अध्यक्ष महोदय :- छत्तीसगढ़ की पंचम विधान सभा के लिए निर्वाचन क्षेत्र 80 भानुप्रतापपुर से उप-निर्वाचन में निर्वाचित सदस्य श्रीमती सावित्री मण्डावी शपथ लेंगी । (मेजों की थपथपाहट)

श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी 80-भानुप्रतापपुर (अजजा)

(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक - 80, भानुप्रतापपुर (अजजा) से उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य श्रीमती सावित्री मनोज मण्डावी ने शपथ ली तथा सदस्य नामावली में हस्ताक्षर कर सभा में अपना स्थान ग्रहण किया)

समय :
11:02 बजे

<u>निधन का उल्लेख</u>

<u>श्री मंगलराम उसेण्डी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य</u>

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य मंगलराम उसेण्डी का दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 को निधन हो

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

गया है । मंगलराम उसेण्डी का जन्म 15 अक्टूबर 1938 को हुआ था । आप प्रारंभ से ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे । वे वन विभाग में सहायक परिक्षेत्र अधिकारी के पद पर कार्यरत् थे । वे सन् 1990 में अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर कोंडागांव विधान सभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए । उनकी समाज सेवा, खेल एवं वानिकी में विशेष रूचि रही । उनके निधन से प्रदेश ने एक अनुभवी राजनीतिज्ञ तथा समाज सेवी को खो दिया है ।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत दुख का विषय है कि आदिवासी समाज के वरिष्ठ एवं बुजुर्ग नेता पूर्व विधायक आदरणीय मंगलराम उसेण्डी जी का निधन दिसम्बर के अंतिम सप्ताह में हो गया । उनका जन्म 1935 को जिला नारायणपुर के ग्राम पंचायत एड़का के आश्रित ग्राम इडको में हुआ था । 25 दिसम्बर, 2022 को उनका देहावसान हुआ । उनकी उम्र 87 साल थी । वे अपने ग्राम के एक मात्र पढ़े लिखे व्यक्ति थे । उन्होंने रेंजर के पद तक शासकीय नौकरी की । समाज सेवा में उनकी रूचि रही और उन्होंने राजनीति को भी समाज सेवा का माध्यम बनाया । भारतीय जनता पार्टी की टिकट से वे 1990 में निर्वाचित भी हुए और पूरे जीवन भर वे सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय रहे । खेल एवं वानिकी में उनकी विशेष रूचि रही, वे समाज सुधार की दिशा में भी लगातार काम करते रहे । उनकी पुत्री सुश्री लता उसेण्डी विधायक और मंत्री भी रही हैं । मंगलराम उसेण्डी जी के देहावसान से समाज को एक अपूरणीय क्षति हुई है । मैं इस शोक के समय में शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर प्रार्थना करता हूं कि मृतक आत्मा को शांति मिले, ओम् शांति ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री मंगलराम उसेण्डी जी कोण्डागांव से विधायक रहे। पिछले दिनों उनका निधन हुआ। उनका जन्म बहुत गरीब और एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। मंगलराम जी अत्यंत साहस, सरल और विनम्र व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक सक्रिय और निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम किया, उन्होंने एक सक्रिय जनप्रतिनिधि की भूमिका अदा की। वे जब तक विधायक और सार्वजनिक जीवन में रहे, वे हर समय आदिवासी भाईयों के, किसानों की समस्याओं को सदन से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ते रहे। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं। मैं अपनी ओर से अपने दल की ओर से उन्हें अत्यंत विनम्रता से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को उनके स्नेहीजनों को इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति।

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोण्डागांव विधानसभा के पूर्व विधायक और आदिवासी समाज के वरिष्ठ विधायक जो हमेशा सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहते थे, मंगलराम उसेण्डी जी का जाना आदिवासी समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। माननीय अध्यक्ष जी, उनका जन्म ग्राम पंचायत ऐडका के आश्रित ग्राम इड़को जिला नारायणपुर में हुआ था। वे अपने गांव से मात्र इकलौते पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वे चौथी कक्षा पढ़कर उस गांव से निकले थे। हमारे आदिवासी समाज

में जिस दिन जन्म होता है, उस दिन के अनुसार ही उनका नाम होता है। मंगलराम उसेण्डी जी का जन्म मंगलवार को हुआ था, इसलिए उनका नाम भी मंगलराम उसेण्डी रखा गया। अभी भी आदिवासी समाज में ऐसा होता है कि जिस दिन जन्म होगा, उसी दिन से नाम होता है। उनका जाना हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। कक्षा चौथी तक पढ़ाई करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति थे। उनका विवाह वर्ष 1960 में फरेसगढ़ के मंडावी परिवार की स्व. श्रीमती सुरजबती मंडावी से हुई थी। स्व. उसेण्डी जी अपने पीछे दो बेटे और तीन बेटियां छोड़ गये जिनमें सुश्री लता उसेण्डी जी इस सदन की सदस्य भी रही है और 10 साल तक छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री भी रही हैं। माननीय अध्यक्ष जी, कोण्डागांव विधानसभा कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, मगर वर्ष 1990 में कांग्रेस के गढ़ को ध्वसत करते हुए पहली बार भारतीय जनता पार्टी 1990 में वहां से जीत दिलाई थी, उसके बाद वर्ष 2003 और 2008 में उनकी पुत्री लता उसेण्डी जी उस सीट से जीती थी। उनका जाना हमारे समाज के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है। वर्ष 1954 में फारेस्ट विभाग में वन रक्षक के पद पर पदस्थ होकर अपने कार्य के प्रति मेहनत व लगन के चलते वर्ष 1964 में डिप्टी रेंजर व 1990 में जब उन्होंने रेंजर पद से इस्तीफा दिया था, उनका प्रमोशन रेंजर पद में हुआ था, उसके बाद वर्ष 1990 में त्यागपत्र देकर वहां से पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने थे। उनका समाज सेवा में अटूट सहयोग था और समाज के प्रति काम करने का नजरिया था। इसलिए उन्होंने शासकीय सेवा से त्याग पत्र देकर राजनीति में आये और पहली बार वहां से जीतकर भी आए। उनका जाना हमारे समाज के लिए बहुत अपूरणीय क्षति है, मैं अपने दल की ओर से उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। ओम शांति।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंगलराम उसेण्डी जी, जब हम लोग पहली बार विधायक बने थे तो मध्यप्रदेश की विधानसभा में हमारे साथ विधायक थे। हम लोगों ने इतना सीधा-साधा सरल, व्यक्तित्व बहुत कम देखा है। वनवासी समाज से निकलकर रेंजर पद तक पहुंचना, उसके बाद लगातार जब तक वे जीवित रहे तब तक सक्रिय रहे। उन्होंने अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दिया कि उनकी सुपुत्री लता उसेण्डी, वे भी हमारे साथ विधायक रहीं। एक ऐसा सीधा-सादा सरल व्यक्तित्व, जिसने समाज सेवा के लिए अपना पूरा जीवन खपाया। ऐसे लोग बहुत बिरले होते हैं जिनमें विधायक बनने के बाद भी लेशमात्र का कोई घमण्ड, लेशमात्र की कोई कमी कभी समझ में नहीं आई। आज एक ऐसा व्यक्तित्व हमारे बीच में नहीं हैं। उनके परिवार में लता उसेण्डी जैसी लड़की, जो आदिवासी समाज से निकलकर वर्ष 2008 में इस सदन की सदस्य (विधायक) बनी। निश्चित रूप से मंगलराम उसेण्डी जी ने अपने परिवार को संस्कारित किया और उनको समाज सेवा के काम में लगाया। आज ऐसा व्यक्तित्व हम सबके बीच में नहीं हैं। वह सन् 1990 में भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने। ऐसे व्यक्तित्व के प्रति हम श्रद्धा-सुमन अर्पित करते हैं। उनके परिवार को इस दुःख को सहन

करने की शक्ति मिले। हमारा एक साथी जो सन् 1990 से हमारे साथ विधान सभा में रहा, वह हम सबके बीच से चला गया। हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि उनके परिवार को इस दु:ख को सहन करने की शक्ति मिले। ओम शांति।

अध्यक्ष महोदय :- मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगत आत्मा के सम्मान में अब सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।

(सदन द्वारा दो मिनट खड़े रहकर मौन धारण किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- ओम शांति। दिवंगत आत्मा के सम्मान में सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(11.12 से 11.22 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:23 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नोत्तर ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में कांस्टीट्यूशन ब्रेक डाऊन हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न हो जाने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- [XX][1] । हमारी विधान सभा की संरक्षक राज्यपाल हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल के बाद जीरो अवर्स में बात करिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें । [XX] हमारी विधान सभा की संरक्षक माननीया राज्यपाल हैं और [XX] कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाऊन हो गया है । [XX] और ऐसी परिस्थिति में यहां विधान सभा चलती है, ऐसे विषय पर (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष जी, अभी प्रश्नकाल है और प्रश्नकाल का समय खराब कर रहे हैं । [XX]

खाद्यमंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- विपक्ष घड़ियाली आंसू बहा रहा है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- प्रश्नकाल चलने दीजिए ।

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- यह प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल होने के बाद में जवाब देंगे । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष जी, [XX] इनका पूरा समर्थन है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आरक्षण बिल को पूरा मजाक बनाकर रखा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जीरो अवर्स में चर्चा करिए ।

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र कुछ भी ठीक नहीं है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जीरो अवर्स में बात करिए न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- मेरे विषय को आप सुन लीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपकी बात सुन रहा हूं, आप जीरो अवर्स में चर्चा करिए।

श्री अरूण वोरा :- [XX] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जीरो अवर्स में बात करिए न ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह कांस्टीट्यूशनल ब्रेक डाऊन हो गया है । [XX] । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- प्रश्नकाल में सदन का समय बेकार न किया जाये। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष जी, आज इस पवित्र सदन में जो विधेयक पास होता है, उसको [XX] रोक रही है। प्रदेश की जनता सब देख रही है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग बैठिए । प्रश्नकाल चलने दीजिए । डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ की जनता से बदला लेना चाहते हैं।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी बोल चुके हैं कि व्यक्तिगत रूप से आरक्षण के खिलाफ हैं।

अध्यक्ष महोदय :- देखिये, मैं खड़ा हुआ हूं। आप बैठिये, आप बैठिये।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अजय चन्द्राकर जी काला गमछा पहन कर आये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये, मैं खड़ा हुआ हूं, आप लोग बैठ जाईये। देखिये, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण काल है, उसे चलने दीजिये, आप लोग उसके बाद जीरो ऑवर में मामला उठा लीजिये, मैं कहां मना कर रहा हूं।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ...।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, प्लीज।

अप्रकाशित/प्रकाशन के लिये नहीं

बिलासपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत जारी टेंडर

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

1. (*क्र. 105) डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत कितने टेंडर निकले और कितने टेंडरो के लिए रिटेंडर या संशोधित किया गया ? (ख) संशोधित टेंडर के लिए कितनी समय-सीमा निर्धारित की गयी थी ? ऑनलाइन , आफलाइन रिटेंडर के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित थी? (ग) अगर विभाग द्वारा नियमों के विरुद्ध टेंडर किये गए तो उस पर क्या -क्या कार्यवाही हुई ? (घ) इन टेंडरो के सम्बन्ध में जिला प्रशासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :(क)बिलासपुर जिले में 15 जुलाई 2022 से दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक जल जीवन मिशन के तहत कुल 201 टेंडर निकाले गये। इनमें से 80 टेंडर-रिटेंडर तथा 15 टेंडरों के समय-सीमा में संशोधन किया गया।(ख) संशोधित एवं रिटेंडर के लिये निर्धारित समय-सीमा, निविदाकार की जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। कोई भी निविदा ऑफ-लाइन रिटेंडर नहीं की गई है।(ग) विभाग द्वारा नियम के विरूद्ध टेंडर नहीं किये गये हैं।(घ) इन टेंडरों के संबंध में जिला प्रशासन को 03 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनका निराकरण कर, प्रतिवेदन जिला प्रशासन को प्रेषित कर दिया गया है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से प्रश्न करना चाहता हूं कि टेण्डर की एक प्रक्रिया है, टेण्डर के बारे में बहुत सारे लोगों ने शिकायत की है और आपने इस प्रश्न के उत्तर में स्वीकार भी किया है कि शिकायत हुई है। जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसमें गांव के हर घरों में कनेक्शन जाना है। अध्यक्ष महोदय, इसमें बहुत बड़ा खेल कर रहे हैं। अब उसमें से एक खेल का कई समाचार-पत्रों में आया था, उसमें कई लोगों ने शिकायत की है। क्या आप यह बता सकते हैं कि इसमें जो शिकायतकर्ता हैं, उसने किन-किन बिन्दुओं शिकायत की है, जिसका आप निराकरण करना बता रहे हैं, तो आपने उसका कैसे निराकरण किया, तो माननीय मंत्री जी, क्या इसको बता सकते हैं ? आप बताईयेगा।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, पहले तो मेरी ओर सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सब पर बाबा जी का आशीर्वाद बना रहे।

अध्यक्ष महोदय :- यदि आप यह बधाई पहले दे दिए होते तो प्रश्न ही नहीं आता। (हंसी)

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, टेण्डर की एक प्रक्रिया होती है। सभी जिलों में कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी रहते हैं। वहां पर

कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी अधिकारी बैठकर तय करते हैं और टेण्डर फ्लोट होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब प्रक्रिया बहुत अच्छी थी, कैसे शिकायत हुई ? मैंने तो प्रश्न किया है कि जिन लोगों ने शिकायत की है, जिस टेण्डर प्रक्रिया को चुनौती दी गई है, मंत्री जी, आपने भी स्वीकार किया है। टेण्डर प्रक्रिया गलत थी क्योंकि आपने प्रश्न लगने के बाद संज्ञान में लिया। आपने 15 लोगों का टेण्डर निरस्त किया है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, पानी टंकी के निर्माण को लेकर, पाईप की क्वालिटी को लेकर बिलकुल शिकायत हुई थी और अधिकारी स्तर पर इसकी जांच की गई है। दूसरी चीज, जो आप टेण्डर निरस्त करने की बात कर रहे हैं, टेण्डर इसलिए निरस्त किया गया क्योंकि अधिकतम 95 टेण्डर, आप 15 टेण्डर की बात कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं वह जवाब में ही है, अधिकतम 95 टेण्डर ऐसे हैं, जिसमें जीरो कॉल आये हैं या फिर सिंगल कॉल आये हैं। तो ऐसे में प्रक्रिया में ही है कि उसको निरस्त करके रिटेण्डर किया जाता है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही तो खेल है। एक बार टेण्डर जारी करना और फिर उसको निरस्त करना और फिर एबव रेट में देना, यही तो खेल है। टेण्डर करना, फिर निरस्त करना तथा रेट संशोधित करना और एबव रेट में देना, तो आपने जो एबव रेट दिया था, आनलाईन टेण्डर किया था, मंत्री जी उसमें बता सकते हैं कि कितने प्रतिशत एबव दिया गया था और शासन को उससे कितने पैसे की हानि हो रही है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, नया एस.ओ.आर. जारी हुआ। क्योंकि पाईप का रेट बढ़ गया था। क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, जब कोई ठेकेदार आया ही नहीं, जीरो कॉल रहा या फिर सिंगल कॉल रहा तो यह प्रक्रिया में ही है। आप भी मंत्री रहे हैं, शायद आपको भी जानकारी होगी।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, श्रीमती यशोदा जी।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कृपा करें।

अध्यक्ष महोदय :- आप 3 प्रश्न पूछ चुके हैं।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी एस.ओ.आर. की बात कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपकी मुझ पर विशेष कृपा रहनी चाहिए। आपके जिले का बहुत सारे टेण्डर एबव रेट में हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- मगर, सब जगह यह खेल नहीं हुआ है।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जिस एस.ओ.आर. रेट में बात की, जब एस.ओ.आर. स्टैण्डर्ड रेट में दिया गया है तो फिर निरस्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता था। आपने उन टेण्डरों में से 80 टेण्डरों को रिटेण्डर करने का निर्णय लिया और फिर उसमें से 15 लोगों को

टेण्डर का समय दिया। आपने जिन 15 लोगों को टेण्डर भरने का समय दिया तो क्या आप बता सकते हैं कि उनको कितना समय दिया गया ? उसे कितने समय के लिए ओपन किया गया ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति बनी हुई है, वह समिति तय करता है । इन्होंने 80 कहा है, मैं फिर बोल रहा हूँ, 95 टेण्डर है और 200 नहीं, बल्कि टोटल 201 टेण्डर पूरे जिले में थे, उस 95 में 15 टेंडर का समय बढ़ाया गया, उसमें भी जब कोई नहीं आ रहा था, कलेक्टर ने बोला कि बाकी 80 को रिटेण्डर कर दिया जाये और उसको पूरा का पूरा 15 को भी रिटेण्डर करके प्रोसेस में डाल दिया गया है और अभी तो पूरा लाईव है ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यही 6 घण्टे के लिये ....।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बृजमोहन जी ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, मेरा मूल प्रश्न आने दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- मूल प्रश्न तो हो गया ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय जी, नहीं हुआ है । 6 घण्टे के लिये टेण्डर ओपन किया गया । उनकी मंशा क्या थी, क्या यह नियमों के अंतर्गत है, जबकि विभाग का निर्देश दूसरा है । यह बतायें कि 6 घण्टे का निर्देश कैसे दिया गया, जिसके कारण ही आपने निरस्त किया ? माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है...।

अध्यक्ष महोदय :- आप सीधे प्रश्न पर नहीं आ रहे हैं । चार पूरक हो गये ।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- आपने ऑनलाईन टेण्डर ओपन किया । अब उस 6 घण्टे के ओपन टेण्डर में आपने उन 15 लोगों को दिया, जिसे बाद में आपने निरस्त कर दिया । निरस्त करने का का कोई कारण नहीं दिख रहा है । मंत्री जी जांच करेंगे, टेण्डर को एबव ब्रेड निरस्त करना, फिर रिटेण्डर करना और एबव ब्रेड में देना, इस तरह से जल जीवन मिशन के तहत बहुत बड़ा खेला चल रहा है । कृपया इसकी जांच करें ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन एक महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना से छत्तीसगढ़ के 72 लाख घरों में कनेक्शन लगना है । पूरे देश में सबसे पीछे है तो छत्तीसगढ़ है, माननीय मंत्री जी को 201 टेण्डर में 95 टेण्डर को संशोधित करना पड़ा, 15 टेण्डर को रिटेण्डर किये, 80 टेण्डर आपने निरस्त किये, आखिर उसके क्या कारण है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय बृजमोहन जी, मैं जिसका जवाब दे चुका हूँ, आप उसी प्रश्न क्वेश्चन कर रहे हैं । यह हमारी सरकार के लिये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है । इसमें हमारा भी पैसा लगा है, जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमेंशा देते हैं । मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने थोड़ी देर पहले जवाब में कहा है कि जीरो कॉल थे, आप तो 15 साल मंत्री रहे हैं, कुछ में सिंगल कॉल थे, वह तो रिटेण्डर होता ही है । वह तो प्रक्रिया है ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग भी मंत्री रहे हैं और 35 साल से विधायक हैं, 201 टेण्डर में से 80 टेण्डर को निरस्त करना पड़े, 15 टेण्डर को रिटेण्डर करना पड़े यानी कि पूरी व्यवस्था दूषित हो गई है तो क्या यह भ्रष्टाचार करने के लिये किया गया है ? हम आपसे एक-एक टेण्डर के बारे में जानकारी चाहते हैं कि जो 80 टेण्डर निरस्त किये गये और 15 टेण्डर रिटेण्डर किये गये, उनके पीछे में क्या-क्या कारण थे, आप 80 टेण्डर की जानकारी दे दें ? यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है, पूरे छत्तीसगढ़ के लोग इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि उनके घरों में नल लगेगा, यहां पर नल नहीं लग रहा है । वर्ष 2023 तक यह योजना पूरी होनी है, छत्तीसगढ़ में पूरी नहीं हो सकती । इतनी महत्वपूर्ण योजना के कारण आज पूरे छत्तीसगढ़ के लोग घर-घर में नल लगने से वंचित हो रहे हैं और सरकार यहां पर हल्का-फुल्का जवाब देकर टालने की कोशिश कर रही है । इसके पीछे क्या कारण है, यह बताया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये । गंभीरतापूर्वक जवाब दीजिए ।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- जांच करवा लें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न ।

अध्यक्ष महोदय :- इसी के साथ जोड़ दीजिए ।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो मंत्री जी का जवाब आया, एस.ओ.आर. के रेट में जो वृद्धि की गई, इसकी वजह से 300 करोड़ का है, वह 400 करोड़ रूपये है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि एस.ओ.आर. में जो वृद्धि कब की गई, उसके बाद रेट में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है ? वास्तविक में एस.ओ.आर. की अभी की बात आ रही है, योजना आपकी वर्ष 2020 की है, आपकी पूर्णता की तारीख सितम्बर 2023 में है । आपके पास समय नहीं बचा है और उसमें केवल करप्शन हो रहा है । मैं बोल रहा हूँ कि 300 करोड़ में 400 करोड़ बढ़ाना मतलब अब तो मंत्री जी मुक्त हो गये हैं, एक जवाब आता है कि कलेक्टर जानें, कलेक्टर की कमेटी बनी है, कलेक्टर जो करेंगे । जो अधिकारी वहां पर भेजे हैं, जांजगीर में उसका रिकार्ड बहुत खराब है, अभी भी जो आपका जल जीवन मिशन की योजना है, जैसा भट्ठा बिठाये हैं, बिलासपुर में भट्ठा बैठा रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज प्रश्न करिये ना ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी मुझे केवल यह बताएं कि आपके एस.ओ.आर. के रेट में जो वृद्धि की गई, तो उसका पहला टेंडर कब किया गया और क्या केवल एस.ओ.आर. के रेट में वृद्धि करने के लिए उसे निरस्त किया गया या संशोधित किया गया? इसकी तारीख और समय तथा क्यों किया गया, इसे आप बताएं?

श्री गुरू रूद्र कुमार:- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं फिर से अपनी बात दोहराऊंगा कि जीरो टेंडर, सिंगल टेंडर के कारण ...।

श्री धरमलाल कौशिक :- अध्यक्ष महोदय, मैं टेंडर में नहीं जा रहा हूं। मेरा स्पेशिफिक प्रश्न है कि एस.ओ.आर. में वृद्धि कब की गई, उसका पहला टेंडर कब लगा था? एस.ओ.आर. में वृद्धि कब हुई, जिसके बाद रेट बढ़ाया गया? मैं इतना ही पूछना चाहता हूं।

श्री गुरू रूद्र कुमार:- पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी, मैं बृजमोहन अग्रवाल जी का जवाब दे रहा हूं।

डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, जांजगीर-चांपा जिले में भी 30 प्रतिशत एबव रेट गया है। आप दिखवा लीजिएगा।

श्री गुरू रूद्र कुमार:- माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2022 में पुराने एस.ओ.आर. में संशोधन कर नया एस.ओ.आर. तैयार हुआ है। यह 2022 का ही टेंडर है, अभी वर्ष 2022 खत्म हो गया है और मैंने आपको नए साल की बधाई दी है। सीधी सी बात है, स्पष्ट है कि प्रक्रिया के हिसाब से जीरो टेंडर इसलिए है क्योंकि जेजेएम में पूरे प्रदेश में काम इतने हैं कि हमारे पास ठेकेदारों की भी कमी है। ठेकेदारों की कमी के कारण जीरो कॉल और सिंगल कॉल होते हैं। यह सीधी सी बात है।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है कि 201 टेंडरों में से 80 टेंडरों को निरस्त करना पड़ा, 15 को संशोधित करना पड़ा और उसक पहले भी कैबिनेट पूरे टेंडरों को निरस्त कर देती है, इसके कारण कि उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। यदि ठेकेदारों की कमी है, तो आप क्यों उसे स्प्लिट करके टेंडर कर रहे हैं? आप क्यों बड़े ठेकेदारों को नहीं बुला रहे हैं? यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और छत्तीसगढ़ के लोगों को जल जीवन मिशन का पानी नहीं मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आपको चर्चा करानी चाहिए और इस पर मंत्री जी का जवाब आना चाहिए कि आखिर कब एस.ओ.आर. को चेंज़ किया?

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हर बार जिला के ऊपर डाला जा रहा है। जिले की कमेटी में जो-जो लोग हैं, उन्हें कितने प्रतिशत तक का निरस्त करने का अधिकार है और अधिकतम कितने प्रतिशत तक स्वीकृत करने का अधिकार है? कितने प्रतिशत को जिला, कितने प्रतिशत को एस.ई., कितने प्रतिशत को सी.ई. और कितने प्रतिशत को राज्य शासन स्वीकृत करती है? इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है, इसमें स्पष्ट हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, आप इसकी जानकारी दे पाएंगे?

श्री अजय चन्द्राकर :- क्यों नहीं दे पाएंगे, वह तो जिला-जिला बोल रहे हैं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- 01 जुलाई, 2022 को एस.ओ.आर....।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं एस.ओ.आर. पूछा ही नहीं हूं।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं आपके सामने वाले सदस्य (श्री बृजमोहन अग्रवाल की ओर इशारा) का जवाब दे रहा हूं। यदि सामने वाले सदस्य का जवाब नहीं देना है, तो बता दीजिए। वैसे आपका प्रश्न उद्भुत नहीं होता।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, आज पहला दिन है, अच्छे से जवाब दीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- मेरा जवाब?

अध्यक्ष महोदय :- हॉ, देंगे ना। सामने वाले भी तो बड़े हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं छोटा हूं साहब।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर के स्तर पर एक कमेटी बनी हुई है, दूसरी कमेटी सचिव के स्तर पर बनी है और तीसरी कमेटी चीफ सेक्रेटरी के स्तर पर बनी हुई है। तो अलग-अलग स्कीमें बनकर तैयार होती हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैंने यह पूछा है कि ...।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप सुन लीजिए ना, मैं डिटेल में बता रहा हूं।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नए सदस्यों का भी प्रश्न लगा है, उन पर भी ध्यान दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- बिल्कुल। नई सदस्या पहली बार पूछ रही हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- बाकी में पैसा खाने दिया जाए?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- वह तो आप लोगों का काम है, यह 15 साल आप लोग किए हैं।

श्री ननकीराम कंवर :- जवाब नहीं आ रहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, मेरा तो उत्तर ही नहीं आ रहा है। इसे तो आपको भी जानना चाहिए और सदन को भी जानना चाहिए। हर बार कलेक्टर-कलेक्टर बोलते हैं, तो कलेक्टर को कहां तक का अधिकार है? एस.ई., सी.ई. और सेक्रेटरी को कहां तक का अधिकार है और इस 30 परसेंट एबव को कौन सी कमेटी ने स्वीकृत किया है? जीरो को निरस्त किसने किया?

अध्यक्ष महोदय :- जवाब आ रहा है, पहले जवाब तो ले लीजिए।

श्री ननकीराम कंवर :- माननीय अध्यक्ष महोदय,...।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- जवाब तो दे रहा हूं, अब आप लोगों को सुनना नहीं है। कलेक्टर की अध्यक्षता में सभी जिलों में जो जिला स्तर की कमेटी बनी है, वहां पर इन्हें 5 करोड़ रुपए तक का काम स्वीकृत करने का अधिकार है।

श्री अजय चन्द्राकर :- 5 करोड़ में कितने परशेंट Above तक के काम स्वीकृत करने का अधिकार है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- यह प्रकिया में रहता है। वह अलग-अलग काम के हिसाब से टेण्डर में Follow होता है।

श्री अजय चन्द्राकर :- हम तो Above को पूछ रहे हैं। कितने परशेंट Above तक कलेक्टर को, ए.सी. को, सी.ई को, ई.एन.सी. को, सेक्रेटरी को और राज्य शासन को अधिकार है ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अजय जी, आप कौन से विभाग के मंत्री थे? आपके पास पंचायत विभाग भी रहा है तो आपको टेण्डर का नियम पता होगा ? वह Above जाता है।

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, नई सदस्य आई हैं और उन्होंने पहली बार प्रश्न किया है, उन्हें मौका दिया जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- साहब, मुझे छोड़िये। मैं इधर हूं, आप उधर है, आप बताईये। यहीं पर तो सब छिपा है कि इशारे पर टेण्डर स्वीकृत हो रहा है... (व्यवधान)। आप क्लियर बताईये ?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आपको तभी तो Doubt हो रहा है। आप पंचायत मंत्री रहे हैं। आपने 10 साल तक मंत्री रहकर सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। इसलिए आपको टेण्डर प्रक्रिया की जानकारी नहीं है।

श्री अजय चन्द्राकर :- टेण्डर को 30 प्रतिशत Above में किसने स्वीकृत किया? आप बताईये। किसने निरस्त किया? आप नीचे निरस्त करवाते हैं और ऊपर स्वीकृत करवाते हैं, यह आरोप है और यह इशारे पर होता है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- आप लोग यह जो बार-बार बोल रहे हैं कि कलेक्टर स्तर पर होता है। आप यह जो नाम ले रहे हैं, यह Non Legislation ... (व्यवधान)।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्या कलेक्टर स्तर, क्या कलेक्टर स्तर? आप कलेक्टर कितनी बार (व्यवधान) बता रहे हो, ... को बताओ ना।

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, प्लीज।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी स्वीकार कर रहे हैं कि 80 टेण्डरों में रि-टेण्डर हुआ है और 15 टेण्डरों की समय-सीमा में संशोधन किया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने स्वीकार कर लिया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह बोल रहे हैं कि हमने सब नियमानुसार किया है।

अध्यक्ष महोदय :- हां किया है।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस पूरी प्रक्रिया की सदन की समिति बनाकर जांच कराएंगे ? यदि आपने .... तो सदन की जांच समिति से जांच करा लीजिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) मैंने जो पूछा है, उसको अभी सदन में क्लियर करवा दीजिये। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- अध्यक्ष महोदय, मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं। नयी सदस्य का पहली बार प्रश्न आया है, उन्हें मौका दिया जाए।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष जी, आप सदन की जांच समिति बनाकर इसकी जांच करवा दीजिए।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, इनके जितने भी सवाल थे, हमने सबका जवाब दे दिया है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जवाब दिया है कि 01 जुलाई को एस.ओ.आर. में संशोधन किया गया। यह टेण्डर 15 जुलाई से किए गए हैं। यदि 1 जुलाई को एस.ओ.आर. में संशोधन किया गया है तो 15 जुलाई से जो टेण्डर हुए हैं, उनको निरस्त करने की नौबत क्यों आई?

श्री बृहस्पत सिंह :- इकट्ठे धाबा बोलना ठीक नहीं है। मौका दिया जाए।

श्री अजय चन्द्राकर :- नीचे निरस्त करवाना और ऊपर इशारा करके स्वीकृत करवाना (शेम-शेम की आवाज)। यह धंधा चल रहा है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जनता को पानी नहीं मिल रहा है और भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है। यह बड़ा अजीब है। राज्य सरकार तो पानी नहीं दे सकती है। यदि केंद्र ने कोई योजना बनाकर आपके पास भेजी है और लोगों को पानी मिलना चाहिए तो यह पानी नहीं देते हैं।

आबकारी मंत्री (श्री कवासी लखमा) :- अध्यक्ष महोदय, बृजमोहन अग्रवाल जी को कितने प्रश्न पूछने का अधिकार है ? यह तो पूरक प्रश्न है, एक-दो बार ही पूछना चाहिए।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- कवासी जी, शराब की बात बोलो ना।

अध्यक्ष महोदय :- चलिए, चलिए।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जल-जीवन मिशन का मामला है और आपके, हमारे जिले में भी भारी भ्रष्टाचार हुआ है। आप माननीय मंत्री जी को और सरकार के सभी मंत्रियों को हिदायत दीजिए कि वे पूरी तैयारी से आये।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- नेता जी, पूरी तैयारी से आए हैं।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, वह प्वाइंटेड प्रश्नों का उत्तर दें। मेरा यह आग्रह है कि यह 100 करोड़ रूपए के घपला का मामला है (शेम-शेम की आवाज)। इस तरीके से इस सरकार में लोकधन की लूट होगी, यह हमारा पैसा है, जनता का पैसा है। इस प्रकार से पैसे की बर्बादी ठीक नहीं है।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- प्रश्नकाल है तो प्रश्न करिए ना।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि आसंदी से आदेश हो। 100 करोड़ रूपए का घपला, लोकधन की लूट, जल-जीवन मिशन में लगातार भ्रष्टाचार । माननीय अध्यक्ष महोदय, तेलंगाना और उड़ीसा (व्यवधान) राज्य इसको पूरा कर रही है।

श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- नेता जी, आप हमारे मंत्री जी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। आपके पास इसका क्या सबूत हैं ?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नेता जी, यह प्रश्नकाल है।

श्रीमती लक्ष्मी ध्रुव :- आप दस्तावेज के साथ बात करिए। माननीय विधायक महोदय, दस्तावेज रखिए।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार की गाइडलाईन है कि इस कार्य को सितंबर, 2023 तक पूरा करना है। हमारा निवेदन है कि सदन की जांच कमेटी से इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाए। आप सदन से निर्देशित करिए, आसंदी से निर्देशित करिएं, यह हमारा आग्रह हैं। यदि सरकार से, माननीय मंत्रियों से इस प्रकार का उत्तर आए तो यह ठीक नहीं है। आपका सख्त निर्देश मंत्रियों को जाना चाहिए। यह सदन है और इस सदन के माध्यम से प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि जल-जीवन मिशन का क्या हुआ? पूरे प्रदेश में इस तरह का वातावरण चल रहा है और हम माननीय मंत्री जी के उत्तर से, जवाब से असंतुष्ट है और हम सदन से बहिर्गमन करते हैं।

समय :

11.44 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में।</u>

(नेता प्रतिपक्ष (श्री नारायण चंदेल) के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- थैंक्यू। श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा। (विपक्षी दल के सदस्यों द्वारा नारे लगाए गए।)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

<u>जिला खैरागढ़ छुईखदान गंडई में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत किये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता की जांच</u>

<u>[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]</u>

2. (*क्र. 40) श्रीमती यशोदा निलाम्बिर वर्मा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) खैरागढ़ जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत कितने ग्रामों में कार्य स्वीकृत किया गया है? (ख) प्रश्न "क" अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण किए गए हैं एवं कितने में कार्य प्रारंभ है? प्रारंभ व पूर्णता की जानकारी ग्रामवार, विकासखंडवार प्रदान करें एवं ठेकेदार फर्म जिनके द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, का नाम सहित जानकारी देवें । (ग) प्रश्न "ख" अनुसार किये जा रहें कार्यों में कौन सी कंपनी के पाईप का उपयोग किया जा रहा है क्या इसकी गुणवत्ता का जांच की गई है? यदि हां तो किसके द्वारा? तथा क्याक पाया गया?

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) :(क) खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई जिले में जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत विकासखण्ड खैरागढ़ के 217 ग्राम व विकासखण्ड छुईखदान के 221 ग्रामों, कुल 438 ग्रामों में कार्य स्वीकृत किये गये हैं। (ख) प्रश्न ‘‘क’’ अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में से 48 ग्रामों में कार्य पूर्ण किये गए हैं एवं 281 में कार्य प्रारंभ हैं। कार्य प्रारंभ, कार्य पूर्णता एवं ठेकेदार फर्म जिनके द्वारा कार्य किये जा रहे हैं का नाम सहित ग्रामवार, विकासखण्डवार जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है। (ग) प्रश्न ‘‘ख’’ अनुसार जिला खैरागढ़-छुईखदान-गण्डई के ग्रामों में पाईप लाईन कार्यो में उपयोग किये जा रहे पाईपों की कंपनी की जानकारी, गुणवत्ता की जांच संबंधी जानकारी पुस्तकालय में रखे प्रपत्र अनुसार है।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय जी से यह जानकारी मांगी थी कि हमारे खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में जल-जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कितने ग्रामों में कार्य स्वीकृत किया गया। माननीय मंत्री जी ने मुझे जवाब भी दिया है कि वहां 217 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 221 ग्रामों में कुल 438 ग्रामों में कार्य स्वीकृत हैं। जिसमें मैंने माननीय मंत्री महोदय जी से पूछा है।

अध्यक्ष महोदय :- अब आप क्या प्रश्न पूछना चाहती हैं, यह बताईये?

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि कितने ग्रामों में कार्य स्वीकृत हुआ है, उसमें कितना कार्य चल रहा है और कितने ग्रामों में कार्य पूर्ण हो चुका है ?

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद्। माननीय सदस्या पहली बार प्रश्न कर रही हैं, उनको पूरा संतुष्ट करिये।

श्री गुरूरूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी। कुल 438 ग्रामों में कार्य स्वीकृत हैं, कुल 438 निविदा आमंत्रित की गई है । विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 34 निविदा प्रक्रियाधीन है जिसमें अभी 281 ग्रामों के कार्य प्रगति पर है और 75 अप्रारंभ हैं, जो टेण्डर प्रक्रिया में है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय सदस्या, आप इसमें ऐसा करिये कि आप प्रश्नकाल के बाद माननीय मंत्री जी के कक्ष में चले जाईयेगा और वह आपको पूरी जानकारी देंगे। आपको चाय भी पिलायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ?

अध्यक्ष महोदय :- इस प्रश्न में नहीं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक को अधिकार है। हमको अधिकार है। जल जीवन मिशन का ही प्रश्न है।

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- तैं बड़ा अच्छा ज्ञानी आदमी हस। माननीय अध्यक्ष महोदय, ए अकेला ज्ञानी आदमी हे।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अब टाईम निकल चुका है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीया नई विधायक हैं, उनके क्षेत्र का मामला है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्होंने पूर्व के प्रश्न में बहिर्गमन कर लिया और उसी में फिर आ गये। ए अकेला ज्ञानी आदमी हे। इन्हीं के पास पूरा ज्ञान है। हमर पास नइ हे। यह दूसरा ज्ञानी आ गया।

श्रीमती यशोदा निलाम्बर वर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ...।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं। आप बैठ जाईये। मैं बता रहा हूँ कि आप माननीय मंत्री जी के कक्ष में चले जाईये, वह आपको पूरा जवाब देंगे।

न्यूवोको, अल्ट्रा टेक, न्यूह विस्टा, अंबुजा, ईमामी सीमेंट संयंत्रों में ग्रीन बेल्ट की स्था पना

[आवास एवं पर्यावरण]

3. (*क्र. 129) श्री कुलदीप जुनेजा : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- (क) ग्राम सोनाडीह में स्थित मेसर्स न्यूंवोको विस्टा2स कारपोरेशन लि., ग्राम हिरमी में स्थित मेसर्स अल्ट्राकटेक सीमेंट लि., ग्राम रिसदा में स्थित मेसर्स न्यूख विस्टा सीमेंट लि अंबुजा सीमेंट तथा ग्राम रिसदा एवं धनधनी में स्थित मेसर्स इमामी सीमेंट लि में कितनी भूमि ग्रीन बेल्टी के लिए आरक्षित है ? (ख) उपरोक्ति भूमि पृथक- पृथक नामवार संयंत्रों की कुल भूमि का कितना प्रतिशत है? (ग) इस ग्रीन

बेल्टर में किस-किस प्रजाति के कितने पेड़ लगाये गए थे ? (घ) इस संबंध में नियम प्रावधान अनुरूप जिनके द्वारा पेड़ नहीं लगाये गये, उनके विरूध्दप क्यान कार्यवाही की गई ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मजद अकबर) : (क) जानकारी संलग्न प्रपत्र[2] के कॉलम 4 अनुसार है।(ख) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कालम 5 अनुसार है। (ग) जानकारी संलग्न प्रपत्र के कॉलम 7 अनुसार है। (घ) प्रश्नांश (क) में उल्लेखित सीमेंट संयत्रो द्वारा वांछित वृक्षारोपण /ग्रीन बेल्ट विकसित किया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है न्यूवोको, अल्टट्राटेक, न्ययू विस्टा, अंबुजा, ईमामी सीमेंट संयंत्रों में ग्रीन बेल्ट की स्थापना से संबंधित था।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह किसने लिखकर दिया है ?यह बताईये ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसमें बारे में मेरा एक प्रश्न है।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह प्रश्न किसने लिखकर दिया है ?यह बताईये ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- मैं आपको बाद में बताऊंगा।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप उत्तर भी उसी से ही ले लीजिएगा।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर भी लिया है। मैं उत्तर माननीय मंत्री जी से लूंगा। आपसे उत्तर क्यों लूंगा ?

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बहस मत करिये। हमसे सीधे मुखातिब होईये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नियमों के अनुसार भी सीमेंट संयंत्र को अपनी कुल भूमि का कितना हिस्सा ग्रीन बेल्ट के लिए रखना है 33, 34 या 35 प्रतिशत। इसके बारे में नियमानुसार बतायेंगे ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कुल जो प्रोजेक्ट में जितनी भूमि लगती है उसका एक तिहाई ग्रीन बेल्ट के लिए रखना होता है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तिहाई।

अध्यक्ष महोदय :- आप जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप खड़े होकर प्रश्न करिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप बढ़िया खड़े होकर प्रश्न करिये।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरदार।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप मुझे सरदार नहीं, सरदार जी कहिये। पहली बात तो अपने शब्दों को सुधारिये।

---

[2] परिशिष्ट "एक"

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जवाब से संतुष्ट होकर बैठ जाईये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप पहले सरदार के साथ जी लगाईये।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जवाब से संतुष्ट होकर बैठ जाईये, मैं ऐसा कह रहा हूँ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कहिए कि अपने शब्दों को विलोपित करें।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। उन्होंने विलोपित कर दिया।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको कहिए कि यह सरदार के साथ जी लगायें।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अभी 12.00 बजने वाला है, आप थोड़ा ध्यान रखिये।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहीं सरकार उखड़ गया तो फिर क्या होगा ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप जवाब से संतुष्ट हूँ, ऐसा कहकर बैठ जाईये, मैं ऐसा कह रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कुलदीप जी अगर आप गंभीर हैं..।

श्री अरूण वोरा :- आप नमस्ते हो जाओगे, वह नमस्ते वाला सरदार जी हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां किस स्तर पर जांच की गई। जितने पेड़ लगाना बताया जा रहा है, वहां मौके पर पेड़ जीवित है या नहीं है ? क्या यह नियम बनाया जा सकता है कि ऐसे प्रजाति के पेड़ लगें, जिसमें भूस्थल बढ़े।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय मंत्री जी, वह बिना जवाब सुने, उत्तर से संतुष्ट हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- आप सरदार के साथ जी तो लगा दीजिएगा, नहीं तो पूरा घेराव हो जाएगा।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, वह आदत से लाचार हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, चारों अलग-अलग कंपनियों के न्यूवोको विस्टा में 32.50, अल्टट्राटेक में 55.14, ईमामी सीमेंट में 45.38, अंबुजा सीमेंट में 83.17 हेक्टेयर भूमि में वृक्षारोपण किया गया है। अब यदि पेड़ कौन-कौन सा है ? यह जानना चाहते हैं तो लंबी लिस्ट है, मैं बता देता हूँ।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं। वहां कितने पेड़ जीवित हैं या नहीं है ? मुझे उसके बारे में जानकारी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- यदि जानकारी विस्तृत है तो आप भी कक्ष में चल जाईये। वह आपको संतुष्ट कर देंगे।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय,उसी का तीसरा प्रश्न है। मेरी सूचना के अनुसार जो इस वर्ष ग्रीन बेल्ट था, मेरा मंत्री जी से...।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अकबर जी, आप कुछ भी उत्तर दें, वह जो लिखकर लायें हैं उसी से प्रश्न पूछेंगे।(हंसी)

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत परेशान कर रहे हैं इनको थोड़ा समझाईये।

अध्यक्ष महोदय :- आप उधर ध्यान मत दीजिए। आप मेरी तरफ निगाह रखकर बात करिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, अजय चन्द्राकर जी, बार-बार परेशान कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप इधर देखकर बात करिये।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे और मंत्री जी के बीच का मामला है। यह जबरदस्ती बीच में खड़े होकर क्यों परेशान कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय :- बीच में मैं हूं।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह दाल-भात में मूसरचंद बन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न कीजिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय मंत्री जी, मेरी सूचना अनुसार जो ग्रीन बेल्ट हेतु सुरक्षित भूमि का रखा जाना बताया जा रहा है, कितने पेड़ लगे होना बताये जा रहे हैं, वास्तव में उतने पेड़ मौके पर लगे हुए नहीं हैं। माननीय अध्यक्ष जी मेरा आपसे एक निवेदन है कि विधायकों की एक समिति बनाकर इसकी जांच कराई जाये। क्योंकि जो ग्रीन बेल्ट में लगाये गए पेड़ों की संख्या बता रहे हैं, वहां पर मेरी जानकारी के अनुसार मौके पर वह चीज नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- वह तो बता रहे हैं। सब पेड़ के नाम हैं, किस-किस प्रजाति के हैं, कितने जीवित हैं और कितने मरे हुए पेड़ हैं, उनके नाम हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- वह जो जानकारी बता रहे हैं, मेरी जानकारी के अनुसार वहां पर उतने पेड़ नहीं हैं। अगर मंत्री जी बता रहे हैं तो विधायकों की एक जांच समिति बना दीजिए, वहां विधायक लोग जाकर स्थल निरीक्षण कर लें। सब सत्य और असत्य सामने आ जायेगा।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधायकों को इतनी फुर्सत थोड़ी है कि वह जाकर जांच करें।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार जो बताया गया है, वह बिल्कुल सही है।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी जानकारी के अनुसार सही नहीं है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी पार्टी के विधायक जांच समिति की मांग कर रहे हैं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, यह विधान सभा भी उससे प्रदूषित होती है, पूरा रायपुर शहर प्रदूषित होता है। माननीय मंत्री ने कहा कि एक तिहाई क्षेत्र में वृक्ष लगाना है। पूरा रायपुर शहर, पूरी राजधानी उससे प्रदूषित हो रही है। हम यह चाहेंगे कि आप इसकी जांच करा लें कि उन्होंने एक तिहाई क्षेत्र में वृक्ष लगाये हैं या नहीं लगाये हैं ? क्योंकि रायपुर शहर और पूरा छत्तीसगढ़, खासकर वहां पर जहां पर सीमेंट प्लाण्ट हैं, वहां पर खेती भी बरबाद हो रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं। क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि एक तिहाई क्षेत्र में वृक्ष लगाये हैं या नहीं लगाये हैं ? यदि वृक्ष लगाये हैं और अगर वह जीवित नहीं हैं तो क्या आप उनको पुन: वृक्ष लगाने का निर्देश देंगे और एक तिहाई क्षेत्र को आच्छादित करने के लिए कहेंगे ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जीवित नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि वहां पर एक विधायकों की समिति बनाकर भेजें और जांच करा लें, सच सामने आ जायेगा। वहां कोई पेड़ जीवित नहीं है, अधिकांश से ज्यादा सारे पेड़ मर चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी मैं जानना चाहता हूं कि जो आपने 32, 55, 45, 83 एकड़ उनको जमीन दी है, इसकी जांच तो करा सकते हैं कि दी हुई जमीन में वृक्ष लगे हैं या नहीं, ठूंठ हैं या मर गये हैं ? यह तो आप किसी से जांच करवा सकते हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तिहाई क्षेत्र में वृक्ष लगे हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं लगे हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- लगे हैं। मैं जिम्मेदारी से विधानसभा में उत्तर दे रहा हूं। यदि उत्तर असत्य है तो आप प्रक्रिया में जाईये न। एक तिहाई जमीन में वृक्ष लगे हुए हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप प्रक्रिया के नाम से उलझा रहे हैं। वास्तव में वृक्ष नहीं लगे हुए हैं। यदि वृक्ष लगे हुए हैं जो फिर आप उसकी जांच कराने में क्यों घबरा रहे हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय मंत्री जी आप और हम सब उस प्रदूषण से ग्रसित हैं। आप जरा इस बात को दिखवा लीजिए कि उन वृक्षों में कितने वृक्ष जीवित हैं और यदि जीवित नहीं हैं तो क्या आप उनको पुन: इसके लिए निर्देश देंगे ? इस बात के लिए निर्देश होना चाहिए।

श्री कुलदीप जुनेजा :- सी.एस.आर. का फंड कितना है और कितना फंड खर्च किया गया है, वह भी माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री शिवरतन शर्मा :- यदि एक तिहाई क्षेत्र में वृक्ष लगे हुए हैं तो आपको जांच कराने में क्या तकलीफ है ? आप सदन की जांच समिति से जांच करा लीजिए। सच सामने आ जायेगा। यदि वृक्ष लगे हुए हैं तो जांच कराने में क्या तकलीफ है ?

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य प्रश्नकर्ता के प्रश्न का उत्तर आया नहीं और यह कहां से बीच में आ गये। पहले इनका उत्तर आ जाये उसके बाद यह लोग पूरक प्रश्न कर लें। यह लोग मुख्य प्रश्नकर्ता को तो बोलने ही नहीं दे रहे हैं।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह लोग जो भी प्रश्न आता है, उसमें सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। हमारे मुख्य प्रश्न का जवाब आया नहीं है, यह विपक्ष वाले जवाब सुनने नहीं देते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि सदन की जांच समिति से जांच करा लीजिए।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है।

श्री अजय चन्द्राकर :- सरदार जी ने पहली बार गंभीर प्रश्न किया है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने बहुत गंभीर बात कही है। उसी के लिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछ रहा हूं कि क्या वह जांच करा सकते हैं और यदि नहीं करा सकते हैं तो वह बोल दें।

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने पहली बार सरदार जी बोला है।

अध्यक्ष महोदय :- आपकी गंभीरता को समझ रहा हूं। हम सब लोग उस नाम से प्रदूषित हैं।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब पर्यावरण की स्वीकृति दी जाती है तो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 0.25 प्रतिशत बैंक गारंटी ली जाती है। यदि वृक्षारोपण में कभी कमी पाई जाये तो इस राशि से उसकी पूर्ति हो सकती है और समय-समय पर इसको भौतिक सत्यापन भी कराया जाता है। वह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य तौर पर चल रही है। किसी प्रकार की कोई शिकायत इस प्रकार से आई नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इस तरफ से, इनकी तरफ से अभी जैसे शिकायत आई तो क्या आप पुन: जांच करा सकते हैं ?

श्री कुलदीप जुनेजा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायकों की एक समिति बना दें जो वहां जाकर जांच कर ले।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, विधायकों की समिति की बात नहीं है। माननीय मंत्री मैं जानना चाहता हूं कि क्या भौतिक सत्यापन पुन: करा सकते हैं ?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विभागीय तौर पर भौतिक सत्यापन करा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बस, बात खत्म हो गई। प्रश्न क्रमांक-04 राजमन बेंजाम।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

चित्रकोट वि.स. क्षेत्र में क्रेशर खदान एवं रेत खनन के संचालन हेतु प्रदत्त अनुमति

[खनिज साधन]

4. (*क्र. 131) श्री राजमन बेंजाम : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत किन-किन ठेकेदारों को क्रेशर खदानों के संचालन एवं रेत खनन हेतु अनुमति प्रदान की गई है, विकासखंडवार बतावें ? क्या आबंटित खदानें पर्यावरण के मापदंडो के अनुरूप प्रदान की गयी हैं? यदि हाँ, तो विकासखंडवार आबंटित क्रेशर खदान एवं रेत खनन तथा निर्धारित पर्यावरण मापदंडों की जानकारी देवें ?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 20 ठेकेदारों को क्रेशर खदान संचालन की अनुमति दी गयी है। विकासखंडवार जानकारी **"संलग्न प्रपत्र"**[3] अनुसार है। चित्रकोट विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्तमान में किसी भी ठेकेदार को रेत खनन हेतु अनुमति प्रदान नही किया गया है। जी हाँ, आबंटित खदानें पर्यावरण मापदंडो के अनुरूप प्रदान की गई है। आबंटित खदानों को वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य हेतु गठित राज्यस्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, द्वारा खनन गतिविधियों हेतु जारी किये जाने वाले पर्यावरण सम्मति अंतर्गत निर्धारित मापदण्डों एवं शर्तों के तहत् अनुमति प्रदत्त किया जाता है।

श्री राजमन बेंजाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में क्रेशर खदान एवं रेत खदान के संचालन हेतु प्रदत्त अनुमति के संबंध में मैंने प्रश्न लगाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है। मैं इससे संतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्रीमती संगीता सिन्हा।

जिला बालोद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत जारी प्रशासकीय स्वीकृति

[लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी]

5. (*क्र. 188) श्रीमती संगीता सिन्हा : क्या लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** जिला बालोद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक कितनी योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है? कार्यवार स्वीकृति दिनांक एवं राशि सहित बतावें ? **(ख)** कण्डिका 'क' में स्वीकृत कार्यों की अद्यतन स्थिति क्या है? कार्यवार बतावें एवं कार्यों की गति धीमी होने के क्या कारण है?

[3] परिशिष्ट- "दो"

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री (श्री गुरु रुद्र कुमार) : **(क)** जिला बालोद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत दिनांक 07 दिसम्बर, 2022 तक 1789 योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। कार्यवार स्वीकृति दिनांक एवं राशि की जानकारी **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ एवं प्रपत्र-ब** अनुसार है। **(ख)** कंडिका "क" में स्वीकृत कार्यो की अद्यतन स्थिति का कार्यवार विवरण **पुस्तकालय में रखे प्रपत्र-अ** अनुसार है। कार्य की गति धीमी होने के निम्न कारण हैः- यथा-कुशल श्रमिकों की कमी, सामाग्रियों की आपूर्ति में विलंब तथा ग्रामीणों द्वारा स्थल विवाद है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जिला बालोद में जल जीवन मिशन के अंतर्गत धीमी गति होने के जो कारण बताये हैं, उससे मैं पूरी तरह असंतुष्ट हूं।

अध्यक्ष महोदय :- आप भी बोल दीजिए कि संतुष्ट हैं। प्रश्न आगे बढ़े।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाह रही हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में जल जीवन मिशन की स्थिति बहुत ही खराब है। अमोरा और ग्राम गोडरी में एक ट्रेक्टर भी पलट गया है। जल जीवन मिशन के कारण सी.सी. रोड़ को बीच से तोड़कर उसमें रिपेयरिंग नहीं की गई है। उसके बाद उसमें जो धान से भरा हुआ ट्रैक्टर था, वह पलट गया है। उसमें एक महिला गिर गई थी। उसको गंभीर चोटें आई हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे एक ही गांव नहीं है, उसमें बहुत सारे गांव हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप प्रश्न करिये।

डॉ. कृष्णपूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, पूरे छत्तीसगढ़ में है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या आप अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे या इसमें जो ठेकेदार काम कर रहे हैं, उसके ऊपर पेनाल्टी लगायेंगे?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- सम्मानीय विधायक जी की जो चिंता है, उसको मैं निश्चिंत तौर पर उनके विधान सभा में पूरा सर्वे करा लेता हूं और यदि कहीं भी ठेकेदार की गलती पाई जाएगी तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- महिलाओं का प्रश्न है। उनको प्रश्न करने दीजिये।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- माननीय अध्यक्ष जी, दीपावली के समय से सी.सी. रोड़ को तोड़ा गया है। उसमें पाइपलाईन नहीं बिछा है। कृपया करके इसमें कार्रवाई करवाईये। क्योंकि अधिकारियों द्वारा एक ही ठेकेदार को 10-10 काम दिया गया है। पहला काम पूरा नहीं हुआ है और बाकी के काम भी अधूरे पड़े हुए हैं। इससे हमारे विधान सभा क्षेत्र में बहुत ही आक्रोश की स्थिति है। गांव में बुजुर्ग गिर रहे हैं। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनको परेशान हो रही है। कृपया करके इसमें कार्रवाई कीजियेगा।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, जैसा कि मैंने बताया कि यहां ठेकेदारों की कमी है, जिसके कारण एक ठेकेदार को दो-तीन काम दिया जा रहा है। आप जिस गांव की बात कर रहे हैं, उसको मैं दिखवा लेता हूं। यदि वाकई उसमें कोई दोषी पाया जाएगा तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। अब तो कार्रवाई होगी।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, एक ही गांव की बात नहीं है। क्योंकि उसका जो कार्य हुआ है ..।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैं आपका पूरा विधान सभा दिखवा लूंगा।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- मंत्री महोदय जी, मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। आप इसमें कार्रवाई कीजियेगा, क्योंकि 100 प्रतिशत कार्य पूरा होने के बावजूद वहां कार्य अधूरा पड़ा हुआ है।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रश्न के उत्तर में एक शब्द लिखा है। आप पढ़ लीजिये। हम प्रश्न नहीं करेंगे। ठेकेदार को दिया है, उसके बाद लिखा है कि कुशल श्रमिकों की कमी है। जो कारण में बताया गया है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- श्रमिकों की कमी की बात आई है। वहां पर कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त हो चुका है। वहां प्लम्बर है, उसके बाद यह बहाना हो रहा है। यह सभी चीज बहाना है।

श्री अजय चंद्राकर :- ऐसे ठेकेदार को काम दिया गया है, जिसके पास कुशलता नहीं है।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, मैं तो बोल ही रहा हूं कि इनके पूरा विधान सभा क्षेत्र का सर्वे करा लेता हूं। यदि कोई दोषी होंगे तो मैं कार्रवाई करूंगा। मैं कार्रवाई करूंगा तो बोल रहा हूं।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला प्रश्न भी इसी विषय से जुड़ा था।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें तो बहिर्गमन हो चुका है न।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक विधान सभा में 1779 टेण्डर हुआ है। आप भी काफी समय राजनीतिक जीवन में रहे हैं। एक विधान सभा में 1779 टेण्डर हुआ है। क्या यह मजाक हो रहा है?

श्री गुरू रूद्र कुमार :- माननीय अध्यक्ष जी, इन लोंगों ने 15 सालों में पी.एच.ई. विभाग में कुछ काम किया होता तो इतना बड़ा आंकड़ा नहीं होता। क्योंकि इनके कार्यकाल में 15 साल में पी.एच.ई. विभाग में कुछ काम हुआ ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बृहस्पत सिंह :- माननीय अध्यक्ष जी, जिस प्रश्न में सदन से बहिर्गमन हो गया है, उस मामले में दोबारा चर्चा करना उचित नहीं है।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय, मैं इतना चाहती हूं कि जो दीपावली के समय से पूरा पाइपलाईन ओपन करके रखे हैं ..।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे चाहूंगा कि सभी विधायक यह गंभीर मुद्दा उठा रहे हैं। एक विधान सभा में नल जल योजना के तहत 1779 टेण्डर हो। हम लोगों ने अपने

जीवन काल में ऐसा नहीं देखा है। टेण्डरों को इतना Split करके काम कैसे होगा? माननीया विधायक जी ने आरोप लगाया कि एक ठेकेदार को 20-20 काम दे दिया गया है। पहला काम पूरा नहीं हुआ है और उसके बाद उसकी यह स्थिति है। यह गंभीर मामला है। इसके बारे में आपको निश्चित रूप से निर्णय लेना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, धन्यवाद। श्रीमती ममता चन्द्राकर।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- अध्यक्ष जी, किसी ठेकेदार को 20 काम नहीं दिया गया है। मैं अपनी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- जो पाइपलाईन दीपावली के समय से ओपन करके रखे हैं, उसकी रिपेयरिंग नहीं की गई है। अध्यक्ष जी, उसका फोटोग्राफ मेरे पास है। आप बोलेंगे तो मैं दिखा दूंगी।

अध्यक्ष महोदय :- उसका पूरा जांच करा देना। श्रीमती मामता चंद्राकर।

डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी :- अध्यक्ष महोदय, सी.सी. रोड को तोड़-तोड़ कर छोड़ दिया गया है। उसको भरा नहीं गया है।

<u>विधानसभा क्षेत्र पंडरिया अंतर्गत विद्युत वितरण केंद्र व सब स्टेशन</u>

[ऊर्जा]

6. (*क्र. 222) श्रीमती ममता चन्द्राकर : क्या मुख्यमंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** विधानसभा क्षेत्र पंडरिया अंतर्गत कितने विद्युत वितरण केंद्र व सबस्टेशन सत्र 2018 - 19 से वर्तमान सत्र तक स्वीकृत तथा प्रस्तावित हैं? **(ख)** कंडिका "क" के अंतर्गत कितने स्वीकृत विद्युत वितरण केंद्र व सब स्टेशन के कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने का स्थापना कार्य शेष है, उसके क्या कारण है और कब तक पूर्ण रूप से स्थापित हो जायेगा?

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) : **(क)** पण्डरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत वर्ष 2018-19 से 30 नवम्बर 2022 तक की स्थिति में कुल 05 नग वितरण केन्द्र इन्दौरी, मरका, कापदा, उड़िया एवं दामापुर तथा 33/11 के.व्ही. के 02 नग सब-स्टेशन ग्राम उड़िया (कारेसरा) एवं बिरमपुर (गांगपुर) में स्वीकृत हुए है। वर्तमान में कोई भी विद्युत वितरण केन्द्र तथा उपकेन्द्र प्रस्तावित नहीं है।**(ख)** उत्तरांश "क" के परिप्रेक्ष्य में स्वीकृत सभी वितरण केन्द्र इंदौरी, मरका, उडिया, कापादाह तथा दामापुर संचालित है, तथा 33/11 के.व्ही. के स्वीकृत 02 नग सब-स्टेशन ग्राम उड़िया (कारेसरा) एवं बिरमपुर (गांगपुर) के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है। उपरोक्त दोनों उपकेन्द्रों के कार्य जून 2023 तक पूर्ण किये जाने के प्रयास हैं।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्रीमती ममता चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी से जवाब मिल गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगी कि जो निर्माण कार्य प्रक्रिया ..।

श्रीमती संगीता सिन्हा :- अध्यक्ष महोदय जी, मेरा माननीय मंत्री महोदय जी से सिर्फ कार्रवाई की मांग है। मुझे इसमें कार्रवाई चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- करेंगे-करेंगे। श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- तो वह कार्रवाई करायें न।

श्री गुरू रूद्र कुमार :- मैंने तो बोल दिया है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विधायक जी बोल रही हैं कि कार्रवाई चाहिए।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने बता दिया है। कार्रवाई करेंगे। श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल।

<u>जिला-राजनांदगांव में गृह निर्माण मंडल को सामान्य आवास योजना अंतर्गत आबंटित भूमि</u>

[आवास एवं पर्यावरण]

7. (*क्र. 108) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या वन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि :- **(क)** क्या राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल राजनांदगांव को चिखली राजनांदगांव में सामान्य आवास योजना अंतर्गत कोई भूमि आवंटित की गई है ? **(ख)** यदि हां तो कब व कितनी भूमि आवंटित की गई है, खसरा नंबर, रकबा सहित जानकारी देवें ? **(ग)** क्या उक्त योजना अंतर्गत आवंटित /स्वीकृत भूमि का नक्शा नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा एप्रूव्ड किया गया है ? यदि हां तो कॉलोनी प्रवेश हेतु नक्शा में एमआर रोड के लिए कितने मीटर स्थान छोड़ा गया है। एमआर रोड हेतु छोड़े गए स्थल में वर्तमान में कितनी चौड़ी सड़क निर्मित है ? प्रस्तावित एमआर रोड अनुसार सड़क चौड़ीकरण का कार्य कब तक व किस के द्वारा किया जाएगा ? **(घ)** चिखली स्थित सामान्य आवास योजना अंतर्गत मंडल द्वारा कुल कितने हितग्राहियों को आवास /रिक्त भूखंड आवंटित किया गया है ? उनमें से कितने हितग्राहियों से बेटर लोकेशन चार्जेस लिया गया है,जानकारी देवें ?

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) : **(क)** जी हां। **(ख)** दिनांक 05.09.2014 को नजूल भूखण्ड क्रमांक 9 एवं 35/7 में से 12.31 एकड़ अर्थात् 536220.00 वर्गफुट भूमि आबंटित की गई है।**(ग)**जी हां। 30 मीटर चौडाई का एम.आर.रोड़ के लिए स्थान छोड़ा गया है। एम.आर. रोड़ हेतु छोड़े गये स्थल में वर्तमान में 4.5 मीटर चौड़ी डामरीकृत सड़क निर्मित है। उक्त कालोनी नगर पालिक निगम राजनांदगांव को हस्तांतरित की जा चुकी है। हस्तांतरण दिनांक पश्चात् कॉलोनी के समस्त विकास एवं संधारण कार्य किया जाना नगर पालिक निगम के क्षेत्राधिकार में है।**(घ)**184 हितग्राहियों को आवास तथा 06

हितग्राहियों को भूखंड आबंटित किया गया है। उनमें से 28 हितग्राहियों से बेटर लोकेशन चार्जेस लिया गया है।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न गृह निर्माण मण्डल को लेकर है। चिखली राजनांदगांव में जो गृह निर्माण मण्डल बना है, उसमें बेस्ट लोकेशन के चार्ज पर हितग्राहियों से चार्ज लिया गया है।

अध्यक्ष महोदय :- कितने सेकंड बचे हैं, घड़ी देखते हुए प्रश्न पूछिये।

श्री भुवनेश्वर शोभाराम बघेल :- मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो मुख्य मार्ग है। एम.आर. रोड हेतु 30 मीटर चौड़ीकरण सड़क का नक्शा पास हुआ है, वह 4.5 मीटर का ही बना है। वह काम आगे कब करवायेंगे?

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एम.आर. रोड प्रस्तावित होता है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :

12.00 बजे

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- शासकीय कार्य को हो जाने दीजिये न । एक-दो मिनट नहीं रूक सकते हैं । चलिये टी.एस. सिंहदेव जी ।

समय :

12.00 बजे

<u>पत्रों का पटल पर रखा जाना</u>

<u>(01) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021-22</u>

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2021-22 (दिनांक 01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक) पटल पर रखता हूं ।

<u>(02) परिवहन विभाग की अधिसूचनाएं</u>

(i) एफ 5-1/आठ-परि./2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 तथा
(ii) एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 02 अगस्त, 2022

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार परिवहन विभाग की अधिसूचना क्रमांक-

(i) एफ 5-1/आठ-परि./2022, दिनांक 19 जुलाई, 2022 तथा
(ii) एफ 5-10/आठ-परि./2020, दिनांक 02 अगस्त, 2022 पटल पर रखता हूं।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

(03) छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूं ।

(04) सहकारिता विभाग का अंकेक्षण प्रतिवेदन एवं वित्तीय पत्रक

(i) छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22

(ii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2021-22

(iii) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22 तथा

(iv) छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 58 की उपधारा (7) की अपेक्षानुसार -

i. छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ मर्यादित का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2021-22
ii. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) शेड्यूल्ड बैंक का अंकेक्षित वित्तीय पत्रक (ऑडिट रिपोर्ट) वर्ष 2021-22
iii. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित की ऑडिट टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22 तथा
iv. छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी आवास संघ मर्यादित की अंकेक्षण टीप एवं वित्तीय पत्रक वर्ष 2021-22 पटल पर रखता हूं ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(05) सहकारिता विभाग की अधिसूचनाएं

(i) एफ 15-27/15-2/2021/3, दिनांक 06 अक्टूबर 2021 तथा
(ii) एफ 15-25/15-2/2022/4, दिनांक 19 सितम्बर, 2022

सहकारिता मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक -

(i) एफ 15-27/15-2/2021/3, दिनांक 06 अक्टूबर 2021 तथा
(ii) एफ 15-25/15-2/2022/4, दिनांक 19 सितम्बर, 2022 पटल पर रखता हूं ।

समय :
12:03 बजे

माननीय राज्यपाल महोदया की अनुमति प्राप्त विधेयक की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- पंचम विधानसभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर तथा दिसम्बर, 2022 जनवरी, 2023 सत्र में अभी तक पारित कुल 3 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है । अनुमति प्राप्त विधेयक का विवरण सचिव, विधान सभा सदन के पटल पर रखेंगे ।

सचिव, विधान सभा (श्री दिनेश शर्मा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पंचम विधानसभा के जुलाई, 2022 सत्र में पारित कुल 13 विधेयकों में से 11 विधेयकों पर तथा दिसम्बर, 2022 जनवरी, 2023 सत्र में अभी तक पारित कुल 3 विधेयकों में से 1 विधेयक पर माननीय राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो गई है, जिसका विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- अनुमति प्राप्त विधेयक के नाम को दर्शाने वाला विवरण पत्रक भाग-दो के माध्यम से माननीय सदस्यों को पृथक से वितरित किया जा रहा है। ध्यानाकर्षण सूचना । (व्यवधान)

पृच्छा

मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इस पवित्र सदन में आरक्षण विधेयक कानून पास हो गया है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह शून्यकाल है । (व्यवधान) पूरे छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कांस्टीट्यूशनल ब्रेकडाऊन है । (व्यवधान)

अशोधित/अप्रकाशन के लिये नहीं

मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन आरक्षण विधेयक आज भी लंबित है । इस सदन से बड़ा कौन होता है ? माननीय अध्यक्ष जी, आप देखिये कि आज 32वां दिन हो गया है । (व्यवधान) मैं शून्यकाल में अपनी बात रखना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह राज्यपाल जी का अपमान हुआ है । इस सदन में कहा गया है कि क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कर रहे हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- इस पवित्र सदन ने विधेयक को पारित किया । [XX][4] छत्तीसगढ़ की 80 लाख जनता का हक़ और अधिकार [XX]

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमने आपसे निवेदन किया है कि क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखा जाए । हमने आपको पत्र लिखकर दिया है । हम चाहेंगे कि आज इस सदन की कार्यवाही चलाने से पहले क्वांटिफायबल डाटा आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाए । क्योंकि इस सदन का अपमान और इस सदन की अवमानना हुई है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- मैं धन्यवाद् देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारी सरकार ने तत्परता दिखाई है ।

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आदिवासियों का शोषण हो रहा है, शोषण । (व्यवधान) [XX] उनके अधिकारों को कुचला जा रहा है। छत्तीसगढ़वासियों का शोषण हो रहा है ।

श्री मोहन मरकाम :- तत्परता दिखाकर आरक्षण को विशेष सत्र के माध्यम से पारित किया । (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- [XX]

श्री मोहन मरकाम :- [XX]

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चौबे जी । माननीय चौबे जी । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] ये विधान सभा का विषय नहीं हो सकता ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारा व्यवस्था का प्रश्न है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मुझे सुनने तो दीजिए । चलिए बैठिये, बैठ जाओ । माननीय चौबे जी ।

श्री कवासी लखमा :- हमारी सरकार विधेयक के माध्यम से आदिवासियों की व्यवस्था कर रही है, पिछड़े वर्गों की व्यवस्था कर रही है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- [XX] ये उनका अधिकार है ।

श्री कवासी लखमा :- ये भारतीय जनता पार्टी के लोग [XX]

अध्यक्ष महोदय :- लखमा जी, लखमा जी । हो गया ना । पहले इनको तो सुनने दीजिए ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष जी ।

---

[4] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट, पहले इनको बोलने दीजिए ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- हमारा व्यवस्था का प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय :- आपने प्वाइंट ऑफ ऑर्डर उठाया, मैं उनसे पूछ रहा हूं । संसदीय कार्य मंत्री जी ।

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, इसके कारण नियुक्तियां नहीं हो पा रही हैं । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं सुनूंगा ना आपको । अरे आपको सुनूंगा ।

श्री मोहन मरकाम :- भारतीय जानता पार्टी का चाल चरित्र उजागर हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपको सुनूंगा, आप बैठिये । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है ? आपकी अनुमति के बाद भी संसदीय कार्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित ।

(12.08 बजे से 12.45 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

समय :

12:45 बजे

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय :- अच्छा, आप क्या कह रहे थे, चलिए, कहिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज पूरे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र उजागर हो गया।

(माननीय सदस्य श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा हाथ उठाने पर)

अध्यक्ष महोदय :- मैं सब सुनूंगा, आपकी व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा न।

श्री मोहन मरकाम :- सदन के अंदर कुछ कहते हैं, बाहर कुछ कहते हैं। (व्यवधान) इसी पवित्र सदन में आरक्षण के विधेयक को सर्व सम्मति से पारित किया गया था। [XX] [5]

श्री शिवरतन शर्मा :- यह किस विषय पर बोल रहे हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैं कह चुका हूं। (व्यवधान) मैं आपकी व्यवस्था पर...। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, यह गलत है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- यह भारतीय जनता पार्टी अनजान बन रही है। यह भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल और चरित्र है। (व्यवधान) आज इनको पूरे छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सुनिए-सुनिए। (व्यवधान)

[5] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

असंपादित/प्रकाशन के लिए नहीं

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- छत्तीसगढ़वासियों का कब तक शोषण होगा। (व्यवधान)

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा नारे लगाये गये)

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, शून्यकाल में सबका अधिकार है। आप बात सुनने देंगे।

श्री रामकुमार यादव :- पिछड़ा वर्ग ला 14 मा रोक के राखे रेहेव ओला 27 प्रतिशत करे हे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप किसी की बात सुनने देंगे क्या ? आप जब बोल रहे हैं तो इन लोगों को चुप रहना चाहिए न। शून्यकाल पर आपका अधिकार है, इधर भी अधिकार है, सबका अधिकार है। आप बात कर रहे हैं तो कम से कम अपने साथियों को रोकिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ का आज जो हाल है। (व्यवधान) आज जो छत्तीसगढ़ के हालात बने हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं-नहीं, इसकी चर्चा करिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- अध्यक्ष महोदय, हमारे आदिवासी समाज के लोगों का भविष्य अंधकार में चला गया है। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- जैसा संसदीय कार्य मंत्री कहे, वैसा चलने दीजिए। हम लोग तैयार हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए। आप समझदार हो। (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- क्या आदिवासी लोग अपनी बात नहीं रख सकते, क्या अनुसूचित जाति वाले अपनी बात नहीं रख सकते, क्या पिछडे वर्ग के लोग अपनी बात नहीं रख सकते ? आप ही अपनी बात रखोगे। जो विधेयक पारित किए हैं, उसी में बात कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- क्या विधायक पढे-लिखे नहीं हैं ? क्या विधायकों को स्वतंत्र अधिकार नहीं है ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी..। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- एक महीने से ज्यादा हो गया, हमारे आदिवासी लोगों की बातों को सुनना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- जब अध्यक्ष महोदय अपने पांव से स्वयं खडे हो जाते हैं तो बाकी सदन को बैठ जाना चाहिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मैं बैठ जाता हूं।

श्री रामकुमार यादव :- आदिवासी मन घलो पिछडे नई हे गा, पिछडा वर्ग हमू मन बहुत पीछे हन।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- बोलत हव न।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री रामकुमार यादव :- कोनो कुकुर बिलई नई खात हे, पिछडा वर्ग के ला।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, पहली बात तो यह सुन लीजिए भैय्या। महामहिम राज्यपाल जी एक उच्च संवैधानिक, सम्मानित पद पर हैं। यह बात आप सबको समझनी चाहिए। (मेजों की थपथपाहट) वे इस विधानसभा के अंग है, इस बात को भी आप समझिए। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, उनके सम्मान के प्रतिकूल यहां कोई बात नहीं होनी चाहिए। आप बोलिए जो बोलना है, मैं सब सुन रहा हूं। इधर से सुनूंगा, उधर से सुनूंगा। मगर उनके सम्मान के प्रति कोई अमर्यादित बात न कहें, यह मेरी आपसे आग्रह है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई अमर्यादित बात नहीं कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाईंट ऑफ आर्डर है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, [XX][6]

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आसंदी का अपमान नहीं कर रहे हैं। हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। इसी पवित्र सदन में 32 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक 2 तारीख को पारित किया गया है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जब तक आरक्षण पारित नहीं हुआ था भारतीय जनता पार्टी...। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- [XX] (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आपकी बात आ गई। आपने अपनी बात कह ली। आप अपनी बात कहिये।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के नेता...। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह हमारे छत्तीसगढ़ की जनता की हक की बात है। छत्तीसगढ़ियों के हक और सम्मान की बात है। उनको अधिकार मिलना चाहिए।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, सर्वसम्मति से इस सदन में विधेयक पास हुआ। (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण मिलने वाला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- प्लीज, आप बैठिये। हो गया। आपने अपनी बात की ली, जिसे मैंने सुन लिया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब कमरो :- पिछड़ों के साथ अन्याय मत करिये।

---

[6] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग का हक [XX]...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, यह गलत बात है।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्कूलों में टीचर नहीं हैं। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। स्कूलों में टीचर नहीं हैं। टीचर की भर्ती करना है।

श्री गुलाब कमरो :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जब आरक्षण में गलती हुई थी तो इनके साथ यह लोग गये थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठ जाइये। आपने अपनी बात की ली। आप अपनी बात कह चुके हैं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी किधर-किधर लड़े? एक साइड नक्सलियों से लड़ रहे हैं और एक साइड इन लोग हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप सब लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर ली। कर ली न?

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनको सुन लीजिए। आप मोहन मरकाम जी को सुन लीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनकी पूरी बात सुन ली। यह लोग मुझे उनकी बात सुनने नहीं दे रहे हैं। उनके बाद मैं आपकी बात सुन रहा हूं।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासी अपने अधिकारों के लिए किससे-किससे लड़े?

अध्यक्ष महोदय :- मैं आपसे ज्ञानवर्धन करूंगा, इसलिए आपकी बात आराम से सुनूंगा। (हंसी)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- एक साइड यह नक्सलियों से लड़ रहे हैं और एक साइड इनकी विचारधाराओं से लड़ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आप यह बता दीजिए कि मरकाम जी को बोलने किसने दिया? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मोहन मरकाम जी क्यों नहीं बोलेंगे? आप उनको बोलने क्यों नहीं देना चाहते हैं? आप आदिवासियों पर उनको क्यों बोलने नहीं देना चाहते हैं? आप उनको बोलने दीजिए।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- वह अपने अधिकारों से कब तक वंचित रहेंगे? वह किससे-किससे कब तक लड़ाई करते रहेंगे? वर्ष 2012 में भी यह लोग लाठी-डंडा से मारे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप उनको बोलने दीजिए न।

श्री संतराम नेताम :- यह आरक्षण विरोधी हैं। सरकार विरोधी हैं। आदिवासी विरोधी हैं। एस.सी. विरोधी हैं।

श्री उमेश पटेल :- यह आरक्षण विरोधी नहीं, यह छत्तीसगढ़ विरोधी हैं। आप छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का विरोध कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ विरोधी हैं।

श्री रामकुमार यादव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- यह अनुसूचित जाति का विरोध कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री रामकुमार यादव :- आप छत्तीसगढ़ विरोधी हैं। (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोग 15 सालों में तो कुछ नहीं कर सके।

संसदीय सचिव (सुश्री शकुंतला साहू) :- [XX][7]

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये। आपने अपनी बात कह ली न।

श्री उमेश पटेल :- आपको छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- आपको छत्तीसगढ़ की जनता माफ नहीं करेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आप लोग डिस्टर्ब मत करिये। काम खत्म होने दीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- मोहन मरकाम जी, आप बोलिये। मोहन भैय्या, आप बोलिये।

अध्यक्ष महोदय :- वह क्यों बोलेंगे?

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- नहीं, ओती के मोहन नहीं, अेती के मोहन के बात होत है।

श्री शिवरतन शर्मा :- वह तो बोल ही रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- उन्होंने बोल लिया है।

श्री मोहन मरकाम :- नहीं-नहीं, मैं बोल रहा था।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- वह अभी शुरू कहां किये हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- आप लोगों ने उनको बोलने कहां दिया ? आप लोग ऐसा करेंगे तो काम कैसे चलेगा ?

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आसंदी का अपमान है।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात से तो स्पष्ट हो गया है।

अध्यक्ष महोदय :- हो गया। वह बोल रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- यह आसंदी का अपमान है।

अध्यक्ष महोदय :- वह आपकी ओर से बोल रहे हैं। वह आपकी तरफ से बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह आसंदी का अपमान है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, आप बोलिये और अपनी बात खत्म करिये।

---

[7] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया ।

श्री संतराम नेताम :- आप लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं।

श्री अमरजीत भगत :- आप आरक्षण के विरोधी लोग हो।

श्री उमेश पटेल :- यह सिर्फ आरक्षण विरोधी नहीं हैं, छत्तीसगढ़ विरोधी भी हैं। छत्तीसगढ़ और आदिवासियों के विरोधी हैं। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह आसंदी का अपमान है।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी प्वाइंट में... (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- लोकप्रिय मंत्रिमण्डल द्वारा पारित विधेयक...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- देखिये। मैडम, एक मिनट। आप बैठिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों को बोलने नहीं दे रहे हैं । कहां से प्वाइंट आफ आर्डर हो गया ।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, सुनिए । मैं पक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ के सदस्यों से निवेदन करता हूं कि कम से कम विधान सभा की कार्यवाही तो चलने दीजिए। मैं आपको बोलने से रोक नहीं रहा हूं, न आपको रोक रहा हूं । आप अकेले नहीं बोल रहे हैं, 10 लोग बोल रहे हैं । आप बोलते हैं तो 10 लोग खड़े हो जाते हैं, फिर आपकी बात सुनाई नहीं दे रही है ।

श्री रामकुमार यादव :- एकर ले बड़े अउ का होही, बतावव तो । (व्यवधान)

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम विधान सभा में नहीं बोलेंगे तो और कहां बोलेंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- उनको भी (विपक्ष) तो बोलना है न । उनका प्वाइंट ऑफ आर्डर है, वह मुझे सुनना है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ के इसी पवित्र सदन में 1 और 2 दिसम्बर को छत्तीसगढ़ की जनता के हक और अधिकार के लिए हमने आरक्षण विधेयक पारित किया था, वह जनता के हित के लिए था (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है । (व्यवधान)

श्री संतराम नेताम :- हमने विधेयक पारित करके भेजा था । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित ।

(अपराह्न 12:56 से 1:34 तक कार्यवाही स्थगित रही)

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

समय :
1:34 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)**

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, quantifiable data के कारण पूरे छत्तीसगढ़ में आरक्षण रूका हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट। कार्यसूची के पद-7 का कार्य पूर्ण होने तक भोजन अवकाश के समय में वृद्धि की जाये। मैं समझता हूं कि सदन सहमत है।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- (व्यवधान) छत्तीसगढ़ के आदिवासी लोग, अनुसूचित जाति के लोग, पिछड़े के वर्ग लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस कर रहे हैं।

(सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों के द्वारा नारे लगाये गये)

समय :
1.35 बजे **गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलम्बन**

विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वयमेंव निलंबित हो गये हैं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री बृजमोहन अग्रवाल
4. श्री ननकीराम कंवर
5. श्री पुन्नूलाल मोहले
6. श्री अजय चन्द्राकर
7. श्री नारायण चंदेल
8. श्री शिवरतन शर्मा
9. डॉ.कृष्णमूर्ति बांधी
10. श्री डमरूधर पुजारी
11. श्री रजनीश कुमार सिंह
12. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जायें । मैं निलम्बन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा ।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- सदन की कार्यवाही दिनांक 3 जनवरी 2023 को 11.00 बजे के तक के लिये स्थगित ।

(दोपहर 1 बजकर 37 मिनट पर विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 3 जनवरी, 2023 (पौष 13, शक सम्वत् 1944) के पूर्वान्ह 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

दिनेश शर्मा

रायपुर (छत्तीसगढ)　　　　**सचिव**

दिनांक : 2 जनवरी, 2023　　　　**छत्तीसगढ़ विधान सभा**

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं